

127

न्यायालय माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा म०प्र०

निगरानी 2199-ग-15



G.F
Rs. 20/-

207
18-6-15

गुलाब अली तनय हकीक अली सा०महाडाडी तह०गुद, जिला रीवा म०प्र०

निगरानीकर्ता

वनाम

1

शान्तीदेवी पति यजरंगीषटेलसा० हदीतह०गुद, जिला रीवा म०प्र०

2

शासनमध्यप्रदेश

निगरानीकर्तापण

श्री.सुकुमार मिश्रा
द्वारा आज दिनांक 18-6-15 को
प्रस्तुत किया गया।
एड
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् तहसीलदार
सा०तह०गुद. प्र. प्र. 83/12/14. 15 आदेशदिनांक
10. 6. 15.
अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू. राजस्व संहिता 1959.

मान्यवर,

क्रमांक 5854
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक... प्राप्ता
राजस्व... कलेक्टर

निगरानी आवेदन पत्रकेआधार निम्नलिखितहै-

यहकि अधी. न्यायालय द्वारापारितआदेश विधिपूर्वक किया
के विरुद्धनेनेनिरस्तकिएजाने योग्यहै।

यहकि गैर निगरानीकर्ताश्र. 1 यानी शान्तीदेवी द्वाराग्राम
महाडाडी स्थितआरा जियात खं, 317 318, 319, रकबत
क्रमश 0. 1250 0. 231, 0. 65 हे. का सीमांकनदिनांक
7. 6. 15 को किया गया किन्तु निगरानीकर्ताकी इन भूमियों

से लगी भूमि उत्तर एवं पश्चिम दिशामेंस्थित होनेके बावजूद
निगरानी

सीमांकन कर्ताकी विचारना नहींदी गई निगरानीकर्ताकी

अनुषास्थितिमेंपटवारी हल्का करोंदीद्वारा किएगये सीमांकनके

प्रमाणितकरनेमेंअधी. न्यायालयद्वारा विधिक त्रुटिकी गईहैजिससे

अधी. न्यायालयका आदेश निरस्तकिएजानेयोग्यहै।


यहकि गैर निगरानीकर्ता नेअपनेसीमांकनआवेदनपत्रों

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.2199-II/15

जिला-रीवा

गुलाब अली/शान्ती देवी

(1)	(2)	(3)
26.04.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात् प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	